

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, IAS

प्रकरण संख्या: 40/2019

उनवान

- (1) वेगीराम पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- (2) नारायण पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- (3) मंगु पिता श्री गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- (4) महीपाल पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- (5) प्रकाश पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- (6) दिनेश पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- (7) श्रीमती मिठी पत्नि गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

तहसीलदार, अरथूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एं0 136- भू-राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक: 08.01.2021


वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या 55 नया 54 पुराना और खाता संख्या 54 नया 55 पुराना के कुल खेत नंग 03 कुल रकबा 0.37 हेक्टर भूमि वाके गांव हालियामहुडा एवं खाता संख्या 54 नया 52 पुराना के कुल खेत नंग 01 कुल रकबा 0.20 हेक्टर भूमि वाके गांव चिकनपाडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज) में स्थित है। वादीगण के ऋषेय, तीनो खातो के राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति ढोली अंकित की गई है, जिस कारण अन्य दस्तावेज में भी जाति ढोली ही लिखी जा रही है, जबकि वादीगण की मुल जाती ढोली भील है। जिस कारण वादीगण को अपने मुल जाती में जो भी लाभ मिलने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं तथा वादीगण अपने संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो रहे हैं। वादीगण के जाति के भील ढोली समाज के लोग टी.एस.पी. क्षेत्र में जन्मजात (आदीम काल) से निवास कर रहे हैं तथा वह जनजाति समुदाय से ही सम्बन्ध रखते हैं। जिस कारण भारत सरकार ने भी इस जाति के लोगो को एस.टी. की श्रेणी में सम्मिलित किया है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग की जाति सुची में भी इनको ढोली भील (एस.टी.) जाति में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2011 की SENSUS OF INDIA 2011 RAJASTAN कि List में सिद्ध ट्रार्डबल की क्रम संख्या 01 पर ढोली भील दर्ज है जिसकी सुची की छायाप्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के रिश्तेदार जो भी बांसवाडा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, उदयपुर, सिरोही के विभिन्न गांवों में निवासरत हैं जिनके राजस्व रिकार्ड में भी जाति ढोली भील व भील ढोली दर्ज है। वादीगण के रिश्तेदार सांगेला निवासी प्रमलाल, भगवती पिता रामचद्र जाति ढोली भील के राजस्व रिकार्ड में भी जाति ढोली भील दर्ज है जिसकी जमाबन्दी की छायाप्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है और भीय पत्नि रामचद्र जाति ढोली भील के नाम से जारी पैमाईश की पुरानी नकल में भी जाति ढोली भील दर्ज है जिसकी छायाप्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। नाथु पिता दिया जाति ढोली भील के राजस्व रिकार्ड में पाडीलसोडिया तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा के भी राजस्व रिकार्ड में जाति ढोली भील दर्ज है एवं वादीगण के भाणेज गणेशलाल, कवीराज पिता चेतनलाल निवासी डूंगरीपाडा पोस्ट घाटोल जिला बांसववाडा द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाडा को जाति भील दर्ज करवाने प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाडा द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी घाटोल को दिनांक 01/03/2019 को जाति संशोधन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया

दिया था। जिसकी छायाप्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण पैतृक समय से उक्त दोनो खातो की भूमि का उपयोग और उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। वादीगण के रेकार्ड में हुई उक्त त्रुटी की वजह से मौके पर आये दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से वादीगण अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। वादीगण की संताने वर्तमान में अध्ययनरत है तथा राजस्व रिकार्ड में जाति भील ढोली दर्ज नहीं होने के कारण उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी जाति केवल ढोली ही दर्ज है जिस कारण उन्हें अनुसूचित जनजाति को जो लाभ देय है वह नहीं मिल रहे हैं। प्रतिवादी राजस्व रेकार्ड का संधारक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण की उक्त भूमि में राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटी को दुरुस्त किया जाकर उक्त खाता संख्या 55 नया 54 पुराना व खाता संख्या 54 नया 55 पुराना के कुल खेत नंग 03 कुल रकबा 0.37 हेक्टर भूमि एवं खाता संख्या 54 नया 52 पुराना के कुल खेत नंग 01 कुल रकबा 0.20 हेक्टर भूमि वादीगण के नाम में ढोली के स्थान ढोली भील दर्ज रिकार्ड किया जाना एवं घोषणा किया जाना आवश्यक होने से वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार को जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाने पर तहसीलदार, अरथूना की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर कथन किया गया कि वादीगण की पैतृक भूमि ग्राम हलिया महुड़ा के खाता संख्या 55, 54 में कुल कित्ता 03 रकबा 0.37 हे० व ग्राम चिकनपाड़ा के खाता संख्या 54 में कित्ता 01 रकबा 0.20 हे० दर्ज रेकार्ड हैं जिसमें वादीगण की जाति ढोली दर्ज रेकार्ड हैं। वादीगण की वास्तविक जाति ढोली भील ही है, इनका मुख्य कार्य जनजाति परिवारों में अच्छे एवं बुरे मौको पर ढोल बजाने का कार्य किया जाता है। वादीगण की जाति ढोली भील होकर अनु० जनजाति के अन्तर्गत आते हैं। ग्राम चिकनपाड़ा की खाता संख्या 54 एवं ग्राम हलिया महुड़ा की खाता संख्या 55 में जाति ढोली के बजाय ढोली भील दर्ज किया जाने अनुशंसा की गई।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 खाता संख्या 54, 55, व 52 तथा जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 खाता संख्या 107, 114 एवं भू-प्रबन्ध पर्चा नोटिस ग्राम जौलाना आदि की छाया प्रतिया एवं भूमिधारी तहसीलदार अरथूना की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण की जाति के अन्य गांवों में निवासरत लोगों की जाति ढोली भील दर्ज रेकार्ड है तथा भूमिधारी तहसीलदार अरथूना द्वारा भी वादीगण की जाति ढोली के स्थान पर ढोली भील करने की अनुशंसा की गई है।

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का मण्डेलापाड़ा के मौजा हलिया महुड़ा की खाता संख्या 55, 54 कुल कित्ता 03 रकबा 0.37 हे० व ग्राम चिकनपाड़ा की खाता संख्या 54 कुल कित्ता 01 रकबा 0.20 हे० भूमि में दर्ज वादीगण की जाति ढोली के स्थान पर ढोली भील बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।


(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का मण्डेलापाड़ा के मौजा हलिया महुड़ा की खाता संख्या 55 कुल कित्ता 03 रकबा 0.37 हे० व ग्राम चिकनपाड़ा की खाता संख्या 54 कुल कित्ता 01 रकबा 0.20 हे० भूमि में दर्ज वादीगण की जाति ढौली के स्थान पर ढौली भील बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशक की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय दिनांक 08.01.2021 को जारी किया गया।


उपरखण्ड अधिकारी
गढ़ी

डिक्री व मुकदमे की इब्जार्ड

(आ. 20 नियम 17 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 40/2019

उनवान

- 1) वेगीराम पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- 2) नारायण पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- 3) मंगु पिता. श्री गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- 4) महीपाल पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- 5) प्रकाश पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- 6) दिनेश पिता गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।
- 7) श्रीमती मिठी पत्नि गौतम जाति ढोली भील निवासी चिकनपाडा तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

--: वादीगण

बनाम

तहसीलदार, अरथूना तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

--: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एं 136- भू-राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक: 08.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर पटवार हल्का मण्डेलापाडा के मौजा हलिया महुडा की खाता संख्या 55 कुल किता 03 रकबा 0.37 हे० व ग्राम चिकनपाडा की खाता संख्या 54 कुल किता 01 रकबा 0.20 हे० भूमि में दर्ज वादीगण की जाति ढोली के स्थान पर ढोली भील वाकि वदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशक की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुवलिंग शून्य वावत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक शून्य का अदा करे।

वसव्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 08.01.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुदवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	ववत इजराय हुक्मनामा	शून्य
ववत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी